

अध्याय III: निगम कर

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 हमने जून 2014 से सितम्बर 2014 के दौरान वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए ₹ 2,254.72 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर से संबंधित 326 उच्च मूल्य के मामले प्रेषित किये।

3.1.2 विभाग (आईटीडी) ने 113 मामले स्वीकार किये तथा 11 मामले (पैरा 2.6.3 में संदर्भित) स्वीकार नहीं किये। आईटीडी ने ₹ 1,551.19 करोड़ के कर प्रभाव वाले 248 मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही पूरी की है तथा ₹ 130.74 करोड़ के कर प्रभाव वाले 23 मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही प्रांरभ की है।

3.1.3 यह अध्याय 326 निगम कर मामलों पर चर्चा करता है, जिनमें से 294 मामलों में ₹ 1,760.44 करोड़ का कम प्रभार तथा 32 मामलों में ₹ 494.28 करोड़ का अधिक प्रभार²⁶ शामिल है। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग द्वारा की गई निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर संकेत करते हैं।

3.1.4 गलतियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्नप्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर छूटों/रियायतों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय
- अन्य-कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

तालिका 2.4 (पैरा 2.5.5) गलतियों की व्यापक श्रेणियों तथा उनके कर प्रभाव के विवरण दर्शाती है।

3.1.5 इस अध्याय के अनुवर्ती खण्डों में, प्रत्येक श्रेणी का पहला पैराग्राफ निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा की गई गलतियों के प्रकार को दर्शाता है। चार व्यापक श्रेणियों को आगे समान प्रवृत्ति की गलतियों को दर्शाने के उद्देश्य से उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक उप-श्रेणी अधिनियम के

²⁶ अधिक प्रभार सही आँकड़ों को अपनाने में गलतियों, आय की गणना में अंकगणितीय गलतियों, कर/ब्याज की दरों का गलत अनुप्रयोग इत्यादि के कारण है।

प्रावधानों को दर्शाती एक प्रस्तावना के साथ प्रारंभ होती है तथा उसके बाद उदाहरणों में महत्वपूर्ण मामलों को दर्शाया गया है।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियाँ की। गलत निर्धारणों के इन मामलों से आयकर विभाग में आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.1 उन त्रुटियों की उप-श्रेणी दर्शाती है (संदर्भ परिशिष्ट 2.3) जिनसे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

तालिका 3.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण				(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	मामले	कर प्रभाव	राज्य	
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	46	268.09	आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल	
ख. ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ	19	192.86	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल	
ग. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	21	122.39	दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल	
घ. कर और अधिभार लगाने में गलत दर का प्रयोग	8	24.02	दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल	
ङ. अपीलीय आदेश का पालन करते समय निर्धारणों में गलतियाँ	12	48.54	गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल	
जोड़	106	655.90		

3.2.2 आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम ऐसे पाँच निर्दर्शी मामलों नीचे दे रहे हैं:

धारा 143(3) निर्धारण अधिकारियों द्वारा आय का सही तरीके से मूल्यांकन और निर्धारण करने का प्रावधान करती है। विभिन्न प्रकार के दावों और लेखाओं, रिकार्डों और विवरणों के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जाँच की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

3.2.2.1 आंध्र प्रदेश, सीआईटी-II प्रभार में, निर्धारण वर्ष (नि. व.) 2008-09 के लिए ट्रांसमिशन कार्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड का निर्धारण पूरा करते समय एओ ने दिसम्बर 2012 में संवीक्षा के पश्चात् आंध्र प्रदेश सरकार से

प्राप्त ₹ 29.33 करोड़ की ब्याज आय पर विचार करने के पश्चात ₹ 13.47 करोड़ का घाटा निर्धारित किया। कर योग्य आय की गणना करते समय एओ ने गलती से ₹ 79.39 करोड़ की आय की सही राशि के स्थान पर ₹ 42.80 करोड़ के घाटे पर प्रारंभिक ऑकड़ा स्वीकार किया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 122.19 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 41.53 करोड़ के कर का संभावित कम उदग्रहण शामिल है।

3.2.2.2 महाराष्ट्र, सीआईटी-। पुणे प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात नि. व. 2009-10 हेतू बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निर्धारण ₹ 761.03 करोड़ के आय पर पूरा किया। बाद में जनवरी 2012 में धारा 154 के अन्तर्गत निर्धारण परिशोधित किया गया था तथा प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर हानि अनुमत करने के पश्चात आय ₹ 617.78 करोड़ पर पुनः निर्धारित की गई थी। संवीक्षा निर्धारण तथा परिशोधन के दौरान कर योग्य आय की गणना करते समय, एओ ने प्रतिभूतियों की बिक्री पर ₹ 250.80 करोड़ के संशोधित लाभ पर विचार नहीं किया गया था जो निर्धारिती द्वारा ₹ 176.26 करोड़ के पूर्ववर्ती लाभ में ₹ 74.54 करोड़ के कुल संवर्धन के पश्चात पुनः गिना गया था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 74.54 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 25.34 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने मार्च 2013 में पारित सीआईटी (अपील) के आदेश को प्रभावी करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही (अक्टूबर 2013) की है।

3.2.2.3 तमिलनाडु, सीआईटी-।।। चेन्नै प्रभार में, एओ ने मई 2013 में संवीक्षा के पश्चात नि. व. 2009-10 के लिए टेली डाटा मरीन सोल्यूशन्स लिमिटेड का निर्धारण पूरा करते समय, ₹ 6.95 करोड़ की आय पर धारा 92 सीए(3) के अन्तर्गत हस्तातंरण मूल्यांकन अधिकारी ।।। चेन्नै द्वारा प्रस्तावित ₹ 91.12 करोड़ के उर्ध्वगामी समायोजन के प्रति हस्तातंरण मूल्यांकन उर्ध्वगामी समायोजन के लिए गलती के केवल ₹ 4.93 करोड़ जोड़े थे। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 86.18 करोड़ तक आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 29.29 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधारा (सितम्बर 2013)।

3.2.2.4 हरियाणा, सीआईटी हिसार प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात नि. व. 2008-09 के लिए दक्षिण हरियाण बिजली वितरण निगम लिमिटेड का निर्धारण शून्य आय पर पूरा करते समय बहीखातों में दर्शायी गई ₹ 225.46 की सही राशि के स्थान पर लगाए गए परन्तु वसूल ना किये गए अधिभार के लिए प्रावधान के कारण ₹ 153.98 की राशि की

गणना की तथा अस्वीकृत की। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 71.48 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 24.29 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने धारा 263 के साथ पठित धारा 143 (3) के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्यवाही की (जनवरी 2014)।

3.2.2.5 कर्नाटक, सीआईटी-। बैंगलोर प्रभार में, एओ ने अक्टूबर 2013 में संवीक्षा के पश्चात नि. व. 2011-12 के लिए ₹ 28.71 के घाटे पर चेसलिण्ड टैक्सटाइल्स लिमिटेड का निर्धारण पूरा करते समय, शून्य आय के स्थान पर गलती से ₹ 31.31 करोड़ पर रिटर्न घाटा स्वीकार किया तथा निर्यात बिक्री पर कमीशन के लिए अस्वीकृत ₹ 2.60 करोड़ वापस जोड़ दिये। शून्य आय को घाटे के रूप में गलत स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 28.71 करोड़ के घाटे का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 9.53 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है।

3.2.3 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ

हम पाँच निर्दर्शी मामले नीचे दे रहे हैं:

अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारितियों द्वारा की गई विभिन्न चूकों के लिए समय समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज लगाने का प्रावधान है।

3.2.3.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-एलटीयू मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि. व. 2008-09 के लिए फरवरी 2012 में ₹ 3,114.47 करोड़ की आय पर टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। कर माँग की गणना करते समय एओ ने अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज नहीं लगाया जबकि निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम था। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 बी के तहत ₹ 161.77 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार की तथा धारा 154 के तहत सुधार किया (अप्रैल 2012)।

3.2.3.2 दिल्ली, सीआईटी केन्द्रीय-III प्रभार में, एओ ने नि. व. 2010-11 के लिए मार्च 2013 में धारा 153 ए के तहत तिरुप्ति बिल्डिंग्स एण्ड आफिसेस प्रा. लिमिटेड का सर्च निर्धारण ₹ 76.59 करोड़ की आय पर पूरा करते समय धारा 234बी(3) के तहत ₹ 6.25 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 14.65 लाख का ब्याज लगाया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234बी(3) के तहत ₹ 6.1 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधारा (मई 2014)।

3.2.3.3 पश्चिम बंगाल, सीआईटी-II कोलकाता प्रभार में, एओ ने वेस्ट बंगाल इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के मामले में नि. व. 2008-09 के लिए दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 118.05 करोड़ की आय पर कर माँग की गणना करते समय धारा 234 बी के तहत ₹ 10.71 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 7.24 करोड़ का ब्याज लगाया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 बी के तहत ₹ 3.48 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधारा (जुलाई 2013)।

3.2.3.4 दिल्ली, सीआईटी-III प्रभार में, एओ ने स्वच्छ ग्रुप इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में नि. व. 2008-09 के लिए जनवरी 2012 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 51 करोड़ की आय पर कर माँग की गणना करते समय ₹ 7.21 करोड़ की सही राशि के स्थान पर धारा 234बी के तहत ₹ 4.54 करोड़ का ब्याज लगाया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 बी के तहत ₹ 2.67 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार की तथा धारा 154 के तहत सुधार किया (जुलाई 2012)।

3.2.3.5 महाराष्ट्र, सीआईटी-एलटीयू मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि. व. 2008-09 के लिए नवम्बर 2012 में शैल टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय ₹ 60.88 करोड़ की आय पर धारा 234 बी के तहत अप्रैल 2008 से नवम्बर 2012 की अवधि के लिए उदग्रहणीय ₹ 11.99 करोड़ के बजाए अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2011 की अवधि के लिए ₹ 9.62 करोड़ का ब्याज लगाया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 बी के तहत ₹ 2.37 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार की (जनवरी 2014) तथा धारा 154 के तहत सुधार किया (जुलाई 2013)।

3.2.4 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज

हम ऐसे दो निर्दर्शी मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं:

यदि निर्धारिती को अधिक प्रतिदाय किया गया है तो धारा 234डी प्रतिदाय पर ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करती है।

3.2.4.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-II मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि. व. 2008-09 के लिए नवम्बर 2012 में सवीक्षा के पश्चात ₹ 3,369.63 करोड़ की आय पर लारसन एण्ड टरबो लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया जिसे बाद में फरवरी 2013 में परिशोधित किया गया था। एओ ने पहले निर्धारिती को जारी किये गए

₹ 158.43 करोड़²⁷ के अतिरिक्त प्रतिदाय पर ब्याज नहीं लगाया था यद्यपि संवीक्षा निर्धारण के अनुसार कोई प्रतिदाय देय नहीं था। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 डी के अन्तर्गत ₹ 23.95 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2013)।

3.2.4.2 दिल्ली, सीआईटी-III प्रभार में, नि. व. 2010-11 के लिए मार्च 2013 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 9,872.27 करोड़ की आय पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड का निर्धारण पूरा करते समय एओ ने गलती से ₹ 98.22 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिदाय पर आधे प्रतिशत की सही दर के स्थान पर ₹ 107.43 करोड़ के प्रतिदाय पर एक प्रतिशत के दर पर ब्याज लगाया था। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 डी के तहत ₹ 13.99 करोड़ के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने गलती स्वीकार की तथा धारा 154 के तहत सुधार किया (अगस्त 2013)।

3.2.5 कर एवं अधिभार की गलत दरों को लागू करना

हम ऐसे दो निर्दर्शी मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं:

धारा 143(3) निर्धारण अधिकारियों द्वारा आय का सही तरीके से मूल्यांकन और निर्धारण करने का प्रावधान करती है। विभिन्न प्रकार के दावों और लेखाओं, रिकार्डों और विवरणों के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जाँच की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

3.2.5.1 पंजाब, सीआईटी-I लुधियाना प्रभार में एओ ने नि. व. 2010-11 के लिए मार्च 2013 में वर्धमान टैक्सटाइल्स लिमिटेड के संवीक्षा निर्धारण के तहत ₹ 185.03 करोड़ की आय पर कर माँग की गणना करते समय क्रमशः ₹ 5.55 करोड़ तथा ₹ 1.83 करोड़ का अधिप्रभार तथा शिक्षा उपकर नहीं लगाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 7.38 करोड़ के अधिप्रभार तथा शिक्षा उपकर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती सुधारी (जुलाई 2014)।

3.2.5.2 दिल्ली, सीआईटी (केन्द्रीय)-I प्रभार में धारा 153 ए के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत नि. व. 2010-11 के लिए एओ ने पर्ल स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड की ₹ 185.03 करोड़ की आय पर कर माँग की गणना करते समय घरेलू कम्पनियों पर लागू होने वाली 10 प्रतिशत की सही दर के स्थान

27 निर्धारती को कुल ₹ 158.43 करोड़ के तीन प्रतिदाय प्रदान किये गए थे जिनमें से ₹ 126.90 करोड़ का मार्च 2010 में, ₹ 23.03 का मार्च 2011 में तथा ₹ 8.51 करोड़ का अक्टूबर 2011 में भुगतान किया गया था।

पर पाँच प्रतिशत की दर पर अधिप्रभार लगाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 5.21 करोड़ के अधिप्रभार का कम उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने गलती को स्वीकार किया एवं धारा 154 के तहत सुधार किया (अक्टूबर 2013)।

3.2.6 अपीलीय आदेशों का पालन करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ

हम ऐसे दो निर्दर्शी मामले नीचे दे रहे हैं:

धारा 254 के अन्तर्गत एक व्यथित निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सीआईटी (अपील) को अपील कर सकता है, तो वह एओ अपीलीय आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा। इसके अतिरिक्त, तथ्य और विधि के प्रश्न पर भी आईटीएटी को अपील की अनुमति दी जाती है। एक अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी गलती के परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण/अधिक निर्धारण हो सकता है।

3.2.6.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-II मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि. व. 1995-96 के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया के मामले में जून 2010 में आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करते समय धारा 36(1) (VIIए) के तहत संदिग्ध कर्ज हेतु प्रावधान के लिए कटौती की पुनः गणना नहीं की यद्यपि कुल आय संवीक्षा निर्धारण (मार्च 1998) में निर्धारित ₹ 1,069.51 के प्रति ₹ 769.59 करोड़ (जून 2010) के लिए संशोधित की गई थी। गलती के परिणामस्वरूप धारा 36(1) (VIIए) के तहत ₹ 15.00 करोड़ की अतिरिक्त कटौती स्वीकृत हुई जिसमें ₹ 6.90 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल है। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की।

3.2.6.2 पश्चिम बंगाल, सीआईटी-IV कोलकाता प्रभार में, धारा 143(3) के साथ पठित धारा 251 के तहत नि. व. 2005-06 के लिए मार्च 2009 में हल्दिया पैट्रोकेमिकल लिमिटेड के निर्धारण का संशोधन करते समय (प्रांभ में दिसम्बर 2007 में पूरे किये गए संवीक्षा निर्धारण के तहत सामान्य प्रावधानों के तहत शून्य आय पर तथा धारा 115 जेबी के तहत ₹ 630.06 करोड़ पर निर्धारित किया गया) मई 2007 में निर्धारिती को अनुमत किये गए ₹ 5.77 करोड़ के प्रतिदाय पर विचार नहीं किया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 डी के तहत ब्याज के कम उदग्रहण सहित ₹ 6.00 करोड़ के प्रतिदाय की अतिरिक्त स्वीकृति हुई।

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम में अध्याय VI-ए के अन्तर्गत और इसके सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय के कुछ वर्गों के लिए निर्धारिती को कुल आय की संगणना में रियायतों/छूटों/कटौतियों अनुमत की गई हैं। हमने पाया कि

निर्धारण अधिकारियों ने उन लाभार्थियों को अनियमित रूप से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ दिए थे जो इनके हकदार नहीं थे। ये मामले आईटीडी की ओर से कर रियायतों/कटौतियों/छूटों के प्रशासन में कमज़ोरियों के बारे में बताते हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तालिका 3.2 उप श्रणियों को दर्शाती है (संदर्भ परिशिष्ट 2.3)। जिससे कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है।

तालिका 3.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के तहत गलतियों की उपश्रेणियाँ (₹ करोड़ में)			
उप-श्रेणी	सं.	कर प्रभाव	राज्य
क. मूल्य हास/कारोबार हानियों/पूंजीगत हानियों को अनुमत करने में अनियमितताएं	52	320.36	आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ख. अनियमित छूट/कटौतियों/रियायत/राहत/ मैट्रेकेंडिट	29	115.20	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ग. कारोबार व्यय की गलत अनुमति	40	281.36	आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
जोड़ 121		716.92	

3.3.2 मूल्यहास और कारोबार/पूंजीगत हानियों के सम्बन्ध और अग्रेषण की अनुमति में अनियमितताएं

हमने नीचे ऐसे तीन निर्दर्शी मामले दिए हैं:

धारा 143(3) एओ को आय का सही तरीके से पता लगाने और निर्धारण करने का प्रावधान करता है। निर्धारणों की संवीक्षा में रिटर्न के साथ संलग्न लेखों, रिकार्ड्स और सभी दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों की विस्तृत जांच करना अपेक्षित है। सीबीटीडी ने भी इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं।

3.3.2.1 कर्नाटक, बैंगलोर सीआईटी-1 प्रभार के एओ ने मार्च 2013 में नि. व. 2010-11 के लिए आईटीईबी प्राइवेट लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया जिसमें ₹ 69.89 करोड़ की हानि का पता चला। कर योग्य आय की गणना करते समय, एओ ने निर्धारती द्वारा अपनी संशोधित रिटर्न में निर्धारित ₹ 172.45 करोड़ की हानि के बजाय वास्तविक रिटर्न के अनुसार ₹ 283.45

करोड़ की शुद्ध हानि अपनाई। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 65.44 करोड़ की हानि का अधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 22.24 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने गलती को स्वीकार किया (अप्रैल 2014) और धारा 154 के तहत उसे सुधारा।

धारा 72 में आठ उत्तरवर्ती निर्धारण वर्षों तक उस निर्धारण वर्ष के संबंध में जिसके लिए पहले हानि की गणना की गई थी व्यवसाय हानि के अग्रेषण और समंजन का प्रावधान है।

3.3.2.2 मेघालय, सीआईटी शिलांग प्रभार के एओ ने ₹ 146.67 करोड़ के व्यवसाय हानि के अग्रेषण और अवशोषित मूल्यहास की अनुमति के बाद नि.व 2008-09 के लिए मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड (पूर्व में मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड के नाम से जाना जाता था) का कर निर्धारण दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद पुरा किया। करयोग्य आय की गणना करते समय एओ ने गलती से नि.व. 2007-08 से संबंधित व्यवसाय हानि/अवशोषित मूल्यहास पर ₹ 41.49 करोड़ के अनुमति योग्य हानि के बजाय ₹ 95.14 करोड़ के रूप में माना। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 53.65 करोड़ (₹ 95.14 करोड़ घटा ₹ 41.49 करोड़) की हानि/अवशोषित मूल्यहास का अत्यधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 18.23 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) और धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (जून 2013)।

3.3.2.3 पश्चिम बंगाल, सीआईटी-IV कोलकाता प्रभार के एओ ने ₹ 26.06 करोड़ की आय से हानि को बट्टे खाते में डालने की अनुमति के बाद शून्य आय पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2009-10 के लिए इलैक्ट्रिकल मैनुफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के निर्धारण को पूरा करते समय, ₹ 42.66 करोड़ की व्यवसाय हानि के अग्रेषण की अनुमति दी। चूंकि केवल ₹ 34.29 करोड़ की व्यवसाय हानि बट्टे खाते में डालने हेतु उपलब्ध थी, केवल ₹ 8.23 करोड़²⁸ की हानि के अग्रेषण की अनुमति दी जानी चाहिए थी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 34.42 करोड़ के व्यवसाय हानि का अधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 11.70 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था।

²⁸ ₹ 8.23 करोड़ = ₹ 34.29 करोड़ - ₹ 26.06 करोड़

3.3.3. अनियमित छूटें/कटौतियां/रियायतें/राहत/मैट क्रेडिट

हमने नीचे दो निर्दर्शी मामले दिए हैं:

धारा 115 जेएए एक निर्धारिती को मैट क्रेडिट अग्रेनयन अनुमत करता है जब सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर विशेष प्रावधानों के तहत कर से अधिक होता है। तथापि, ऐसा क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर के अन्तर और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत कर तक सीमित होगा।

3.3.3.1 महाराष्ट्र सीआईटी-III मुम्बई प्रभार में एओ ने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 1,103.50 करोड़ और सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 647.55 करोड़ की आय के लिए मार्च 2011 में संवीक्षा के बाद एवार्ड 2008-09 के लिए विडियोकान इंडस्ट्रीज लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया। सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 602.15 करोड़ की आय पर निर्धारण का पुनः निर्धारण किया और मार्च 2013 में सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 534.76 करोड़ की आय का संशोधन किया। एओ ने ₹ 56.74 करोड़ के अनुमत मैट क्रेडिट के प्रति गलती से पूर्व वर्ष के ₹ 86.74 करोड़ मैट क्रेडिट का समंजन अनुमत किया, जो अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर और विशेष प्रावधानों के तहत कर का अन्तर था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 30.00 करोड़ के मैट क्रेडिट की अत्यधिक अनुमति हुई जिसमें उतना ही कर कम लगाया गया था।

3.3.3.2 पश्चिम बंगाल, सीआईटी-III कोलकाता प्रभार में एओ ने ₹ 240.44 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2010-11 के लिए वोडाफोन ईस्ट लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया जिसे बाद में मई 2013 में अधिनियम की धारा 115 जेएए के तहत संशोधित कर ₹ 17.68 करोड़ के मैट क्रेडिट की अनुमति दी गई थी। चूंकि निर्धारिती ने नि. व. 2006-07, 2007-08 और 2009-10 के दौरान अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर का भुगतान किया था, समंजन हेतु कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 17.68 करोड़ का मैट क्रेडिट की गलत अनुमति हुई जिसमें ब्याज सहित ₹ 24.04 करोड़ तक का कर कम लगाया गया।

3.3.4 करोड़ व्यय की गलत अनुमति

हमने नीचे चार ऐसे निर्दर्शी मामले दिए हैं:

धारा 43 बी में कुछ व्यय के प्रति केवल तब कटौती दी जा सकती है जब पिछले वर्ष में आय का रिटैन फाइल करने की निर्धारित तिथि तक इसका वास्तव में भुगतान किया गया हो।

3.3.4.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-X मुम्बई प्रभार में एओ ने ₹ 10,284.77 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में नि. व. 2008-09 के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय निवेश की बिक्री पर हानि के कारण ₹ 377.55 करोड़ की कटौती अनुमत की। चूंकि भारत सरकार द्वारा जारी बांडो में किया गया निवेश प्रकृति में पूंजीगत था, बांडो की बिक्री या प्रतिदान को अस्वीकार करना अपेक्षित था। व्यय की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 377.55 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 128.33 करोड़ का कम कर लगाना शामिल था। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (मार्च 2013)।

3.3.4.2 तमिलनाडु, सीआईटी-II त्रिची प्रभार में एओ ने ₹ 4.19 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2009-10 के लिए तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (कुम्बकोनम) लिमिटेड का निर्धारण पूरा करते समय विधार्थी रियायती पास के लिए ₹ 123.29 करोड़ में से सामाजिक लागत के लिए ₹ 53.70 करोड़ की कटौती अनुमत की जिसे आर्थिक अनुदान के रूप में तमिलनाडु सरकार द्वारा वापिस किया जाना था। चूंकि ₹ 123.29 करोड़ की राशि की आर्थिक अनुदान आय के रूप में गणना नहीं की गई थी, ₹ 53.70 करोड़ की कटौती की अस्वीकृति आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त, इसी निर्धारिती के मामले नि. व. 2005-06 के लिए मार्च 2013 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत पूर्ण पुनः निर्धारण में उपरोक्त आधार पर समान व्यय को अस्वीकृत किया गया था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 53.70 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 18.25 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने धारा 148 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रांरभ कर दी है (जनवरी 2014)।

धारा 43 बी (एफ) में आय की गणना करते समय धारा 28 में संदर्भित मालिक के रूप में निर्धारती द्वारा उसके कर्मचारी के क्रेडिट में किसी अवकाश के बदले में देय कोई भी राशि अनुमत है, यदि निर्धारिती द्वारा राशि का वास्तव में भुगतान किया गया हो।

3.3.4.3 पश्चिम बंगाल सीआईटी-II कोलकाता प्रभार में एओ ने सामान्य प्रावधानों के तहत दिसम्बर 2010 में नि. व. 2008-09 के लिए नेशनल

इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड की निर्धारण संवीक्षा को अन्तिम रूप देते समय ₹ 573.2 करोड़ की हानि पर धारा 115 जेबी के तहत ₹ 205.65 करोड़ का लाभ दर्ज किया और लाभ और हानि लेखें में “अवकाश यात्रा अनुदान” और “रोग-अवकाश” के लिए क्रमशः ₹ 16.32 करोड़ और ₹ 27.74 करोड़ डेबिट करने की अनुमति दी। चूंकि दोनों मदे रिटैन भरने की देय तिथि तक अदत्त पड़ी रही, इन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 44.06 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 14.97 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने धारा 154 और 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की (मई 2012)।

धारा 36(1) (iii) प्रावधान करती है कि “परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए उधार पूँजी के संबंध में परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए उधार ली गई पूँजी की तिथि से प्रांभ किसी अवधि से जब तक कि ऐसी परिसम्पत्ति का पहली बार उपयोग किया गया हो तब तक दत्त ब्याज की किसी भी राशि पर कटौती अनुमत नहीं होगी। इसके अलावा, धारा 37(1) के अनुसार कारोबार या पेशे के लाभ और मुनाफा शीर्ष के तहत प्रभारित आय की गणना करते समय पूँजीगत व्यय, अनुमत व्यय नहीं है”

3.3.4.4 मेघालय, सीआईटी शिलांग प्रभार में एओ ने ₹ 334.56 करोड़ की निर्धारित आय के प्रति अग्रेनित हानि और मूल्युहास का समायोजन और ₹ 920.48 करोड़ की बकाया अवशोषित हानि और मूल्युहास को अग्रेनित करना अनुमत करने के बाद शून्य आय पर सितम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2009-10 के लिए नोर्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया। एओ ने उसकी परियोजनाओं पर किए गए निर्माण और ब्याज और वित्त प्रभार व्यय पर ₹ 25.82 करोड़ का प्रासंगिक व्यय अनुमत किया। चूंकि निर्माण अवधि के दौरान किया गया व्यय पूँजीगत प्रकृति का है, इसे अस्वीकृत करना आवश्यक था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 25.82 करोड़ की आय का कम मूल्यांकन हुआ जिसमें ₹ 8.77 करोड़ का कम कर लगाया गया।

3.4 चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय

3.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न, वस्तुतः प्राप्त अथवा उद्भूत अथवा प्राप्त या उद्भूत के रूप में मान्य आय शामिल होगी। हमने देखा कि एओज ने कुल आय जिस पर कर लगाया जाना था का निर्धारण नहीं किया/ कम निर्धारण किया।

तालिका 3.3 निर्धारण से बचने वाली आय की उप-श्रेणियाँ (परिशिष्ट 2.3 देखें)

उप-श्रेणियाँ	सं.	टीई	राज्य	₹ करोड़ में
क. विशेष प्रावधान के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय	34	100.42	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल	
ख. सामान्य प्रावधान के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय	18	237.03	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल	
ग. पूंजीगत आय का गलत वर्गीकरण और गणना	7	18.89	आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल	
घ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूंके	7	27.83	गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु	
ङ. अस्पष्ट निवेश रोकड़ क्रेडिट इत्यादि	1	3.45	तमिलनाडु	
जोड़	67	387.62		

3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय

हमने नीचे ऐसे दो निर्दर्शी मामले दिए हैं:

धारा 115 जेबी में बुक प्रॉफिट की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की उगाही का प्रावधान है, यदि सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर मैट से कम हो। वित्त अधिनियम 2009 के अनुसार, पूर्वव्यापी धारा में संशोधन कर दिया गया है कि परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी का प्रावधान बुक प्रॉफिट की गणना करते समय वापस जोड़ा जाएगा।

3.4.2.1 कर्नाटक, सीआईटी-। बैंगलोर प्रभार में एओ ने सामान्य प्रावधानों के तहत शून्य आय पर और विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 17.95 करोड़ के दर्ज लाभ पर दिसम्बर 2010 में नि. व. 2008-09 के लिए बैंगलोर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। दर्ज लाभ की गणना करते समय, एओ ने लाभ और हानि लेखे में खराब और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान के लिए डेबिट की गई ₹ 224.27 करोड़ की राशि को वापस नहीं जोड़ा। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 32.81 करोड़ का कम कर लगाया गया। आयकर विभाग ने धारा 147 के तहत गलती को सुधारा (मार्च 2014)।

3.4.2.2 आंध्र प्रदेश, सीआईटी-VI हैदराबाद प्रभार के एओ ने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 744.52 करोड़ के दर्ज लाभ पर नि. व. 2008-09 के लिए नार्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड का निर्धारण पूरा करते समय लाभ और हानि खाते में खराब और संदेहास्पद ऋणों के प्रावधान के लिए डेबिट की गई ₹ 77.41 करोड़ की राशि को वापिस नहीं डाला। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 11.64 करोड़ का कम कर लगाया गया। आयकर विभाग ने धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है (जुलाई 2013)।

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के तहत अनिर्धारित/कम निर्धारित आय

हमने नीचे ऐसे दो निर्दर्शी मामले दिए हैं:

धारा 28 में प्रावधान है कि किसी भी कारोबार या पेशे से लाभ और मुनाफा सुसंगत शीर्ष के तहत आय कर के दायरे में प्रभारित किया जाएगा। सीआईटी बनाम टीवीएस सुन्दरम अंयगर एंड सन्स (222 आईटीआर 344 एससी) के मामले में न्यायिक रूप से यह निर्णय दिया गया था कि भले ही राजस्व स्वरूप का होने से प्राप्ति के वर्ष में राशि करयोग्य नहीं है, निर्धारिती के स्वयं का धन होने पर सीमितता या किसी अन्य सांविधिक या अनुबंधात्मक अधिकार के कारण राशि का स्वरूप बदल देती है। इसकी वजह से इस राशि को आय रूप में माना जाएगा।

3.4.3.1 तमिलनाडु, सीआईटी-I चैन्नई प्रभार के एओ ने ₹ 109.14 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2011 में नि. व. 2009-10 के लिए चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया, जिसे बाद में दिसम्बर 2012 में संशोधित कर ₹ 109.63 करोड़ कर दिया गया था। प्रतिभूति प्रीमियम खाते से निकाली गई ₹ 323.53 करोड़ की राशि को समायोजन के माध्यम से ₹ 200 करोड़, ₹ 100 करोड़ और ₹ 23.53 करोड़ के प्रति क्रमशः ‘मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान’ ‘बहु खाते में डाली गई परिसम्पत्ति की हानि’ और ‘निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान’ द्वारा लाभ और हानि खाते में जमा किया गया था। प्रतिभूति प्रीमियम खाते के आहरण को जमा करने के प्रति प्रावधानों में निर्धारिती द्वारा डेबिट के निर्धारण से उसे राजस्व न्यूट्रल बना दिया। चूंकि प्रतिभूति प्रीमियम खाते के आहरण को राजस्व उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था, इसे राजस्व प्राप्तियों के रूप में माना जाना आवश्यक था और कर हेतु आय के रूप में प्रस्तावित था। इसे करने में चूकों के परिणामस्वरूप ₹ 323.53 की आय का कम निर्धारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 109.97 का कम कर लगाया गया। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति यह कहते हुए स्वीकार नहीं की कि अंश प्रीमियम के उपयोग से संबंधित उचित उदघोषणा के रूप में

कटौती लेखों की टिप्पणी में की गई थी और यह केवल प्रस्तुतिकरण का तरीका था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शेयर प्रीमियम खाते में कटौती पूर्ण है और टीवीएस सुन्दरम एयंगर एवं सन्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपात के अन्दर था। कम्पनी अधिनियम के अनुसार परिसम्पत्तियों की कटौती या व्ययों को बड़े खाते में डालने के प्रति शेयर प्रीमियम खाते के समायोजन में परिसम्पत्तियों को वास्तव में बड़े खाते में डालना आवश्यक है जो नकदी के बहिर्वाह का प्रतिपादन करता है। इसके अतिरिक्त, लेखों के नोट में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रतिभूति प्रीमियम खाते का समायोजन लेखांकन मानकों के और आईसीएआई के सुसंगत घोषणा के अनुरूप नहीं था।

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओ को संवीक्षा निर्धारण में आय का सही निर्धारण और मूल्यांकन करना चाहिए। इस संबंध में सीबीडीटी ने भी समय समय पर निर्देश जारी किए हैं।

3.4.3.2 ओडिशा, सीआईटी भुवनेश्वर प्रभार के एओ ने ₹ 2042.54 करोड़ की आय पर अक्टूबर 2011 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2009-10 के लिए नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया था, जिसे बाद में मार्च 2012 में धारा 154 के तहत संशोधित कर ₹ 79.96 करोड़ के टीडीएस का क्रेडिट दिया था। लाभ और हानि खाते की राशि के अनुसार ₹ (-) 85.35 करोड़ की राशि को स्टाक की अभिवृद्धि/गिरावट के मूल्य, मध्यवर्ती उत्पाद और प्रगति पर निर्माण कार्य जिनमें से ₹ 29.28 करोड़ की अभिवृद्धि अन्तिम उत्पाद से संबंधित थे। बहीखातों के अनुसार अन्तिम उत्पाद की अभिवृद्धि ₹ 65.10 करोड़ थी और ₹ 29.28 करोड़ नहीं। अन्तिम उत्पादों की अभिवृद्धि को कम बताने के परिणामस्वरूप ₹ 35.82 करोड़ तक की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 35.76 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था (मार्च 2013)।

3.4.4 पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना

हमने नीचे एक ऐसा निर्दर्शी मामला दिया है:

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओज को संवीक्षा निर्धारण में आय का सही निर्धारण और मूल्यांकन करना चाहिए। इस संबंध में सीबीडीटी ने समय समय पर निर्देश भी जारी किए हैं।

3.4.4.1 आंध्र प्रदेश, सीआईटी-सेन्ट्रल हैदराबाद प्रभार में एओ ने ₹ 33.73 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2009-10 के लिए सुमित कोम्प्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया।

निर्धारिती ने यूनिकोन के 18 लाख शेयर ₹ 39.09 करोड़ में बेचने के लिए हस्तांतरित किए और बिक्री से आमदनी को निर्धारिती के बैंक खाते में जमा किया गया था। पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) की गणना करते समय ₹ 39.09 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 22.07 करोड़ की बिक्री आमदनी पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती को अधिग्रहण की क्रमबद्ध लागत की अनुमति दी गई थी जबकि शेयरों की धारण अवधि एक वर्ष से कम थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.02 करोड़ के पूंजीगत लाभ की कम गणना हुई। गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 17.99 करोड़ तक के एसटीसीजी की कम गणना हुई जिसमें ₹ 8.25 करोड़ तक का कर प्रभाव शामिल था। आय कर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (मार्च 2014) और धारा 263 के साथ पठित धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की।

3.4.5 टीडीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में त्रुटियां

हमने नीचे एक ऐसा निदर्शी मामला दिया है:

धारा 40 (ए) (ए) प्रावधान करता है कि उन भुगतानों पर जहां टीडीएस की कटौती नहीं हुई है व्यय की कटौती अनुमत नहीं की जाएगी।

3.4.5.1 ओडिशा, सीआईटी सम्बलपुर प्रभार में एओ ने ₹ 2778.77 करोड़ की आय पर, जिसे मार्च 2012 में संशोधित कर ₹ 2763.73 करोड़ कर दिया गया था, दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2009-10 के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया। संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने कोल इंडिया लिमिटेड को ₹ 4.82 करोड़ और ₹ 54.77 करोड़ का भुगतान अनुमत किया जिस पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। क्योंकि कर की कटौती नहीं की गई थी, ₹ 59.58 करोड़ के भुगतान को अस्वीकृत करना आवश्यक था। ऐसा करने में गलती के परिणामस्वरूप ₹ 59.58 करोड़ तक की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 20.48 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (मार्च 2013)।

3.4.6 अस्पष्ट निवेश/नकदी ऋण इत्यादि

हम नीचे एक ऐसा निर्दर्शी मामला दे रहे हैं:

धारा 68 प्रावधान करता है कि यदि निर्धारिती अपनो बही में जमा की गई किसी राशि की प्रकृति और स्रोतके बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तावित नहीं करता तो जमा की गई राशि को निर्धारिती की आय के रूप में आयकर प्रभारित किया जा सकता है।

3.4.6.1 तमिलनाडु, सीआईटी-VI चैन्नई प्रभार, के एओ ने ₹ 29.32 लाख की आय पर दिसम्बर 2010 में नि. व. 2008-09 के लिए एस 4 कारलिसले पब्लिशिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। मार्च 2008 को समाप्त अवधि के लिए निर्धारिती के तुलन पत्र के अनुसार ₹ 10.67 करोड़ और ₹ 11.85 करोड़ की राशियों को देयता के तहत 'शेयर प्रीमियम खाते' में एवं परिसंपत्तियों के तहत एस 4 कारलिसले पब्लिशिंग सर्विसेस इंक में निवेश में दर्शाया गया था। शेयर प्रीमियम खाते में क्रेडिट के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया था और शेयर प्रीमियम खाते को एक सहायक कम्पनी में निवेश हेतु उपयोग किया जा रहा था जो कम्पनी अधिनियम की धारा 68 के तहत स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि शेयर प्रीमियम खाते को कम्पनियों में निवेश हेतु उपयोग किया जा रहा था जो निर्धारिती का मुख्य कारोबार नहीं है धारा 68 के तहत ₹ 11.85 करोड़ की राशि को अस्पष्ट क्रेडिट के रूप में माना जाना आवश्यक है और इस पर कर लगाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने के परिणास्वरूप ₹ 11.85 करोड़ की आय निर्धारण से बची रही जिसमें ₹ 3.45 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आयकर विभाग ने मार्च 2014 में धारा 143(3) के साथ पठित 147 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।

3.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

3.5.1 हमने देखा कि दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एओ ने ₹ 494.28 करोड़ के अधिक कर प्रभार वाले और ब्याज के 32 मामलों (परिशिष्ट 2.3 देखें) में आय का अधिक निर्धारण किया। हमने नीचे दो ऐसे निर्दर्शी मामले दिए हैं:

धारा 143(3) प्रावधान करता है कि एओ को आय का सही निर्धारण और मूल्यांकन करना चाहिए। रिटर्न के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों, अभिलेखों, लेखाओं के साथ साथ संवीक्षा निर्धारणों में विभिन्न प्रकार के दावों की विस्तार से जांच की जानी चाहिए।

3.5.1.1 दिल्ली, सीआईआई-I प्रभार के एओ ₹ 5,673.85 करोड़ की आय का दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद नि. व. 2008-09 के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और उसे सारांश चरण पर धारा 115 जेए के तहत ₹ 216.41 करोड़ का कर क्रेडिट अनुमत किया था, किन्तु इसे संवीक्षा निर्धारण के दौरान इस पर विचार नहीं किया गया। चूंके परिणामस्वरूप ₹ 287.83 करोड़ का कर अधिक प्रभारित किया गया। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (जनवरी 2012)।

धारा 234 बी में प्रावधान है कि यदि एक निर्धारिती ने कर का अग्रिम भुगतान करना है और यदि उसने ऐसे कर का भुगतान नहीं किया या यदि उसके द्वारा भुगतान किया गया कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम हो तो वह एक प्रतिशत प्रतिमाह या महीने के भाग की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

3.5.1.2 पश्चिम बंगाल, सीआईटी II कोलकाता प्रभार के एओ ने ₹ 892.02 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2009 में नि. व. 2007-08 के लिए सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रासपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण को बाद में धारा 251 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत अगस्त 2010 में संशोधित किया गया जिसमें ₹ 39.54 करोड़ का कर निर्धारित किया और बिना किसी जोड़ के फिर फरवरी 2013 में संशोधित किया गया। फरवरी 2013 में फिर संशोधित निर्धारण पूरा करते समय धारा 234 बी के तहत ₹ 13.05 करोड़ की सही राशि के प्रति ₹ 28.08 करोड़ पर ब्याज लगाया गया था। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (जुलाई 2013)।